भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. †2225

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लए

खनिज की खोज के संबंध में भारत का श्रीलंका के साथ सहयोग

†2225. श्री बसवराज बोम्मई:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री अनुराग संह ठाकुर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या भारत खनिज की खोज और खनन के संबंध में श्रीलंका के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को होने वाले व शष्ट लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौता ज्ञापन के प्रमुख उपबंध क्या हैं और इससे खनिज अन्वेषण में द् वपक्षीय सहयोग कस प्रकार सुकर होगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लए कन-कन उपायों पर वचार कया जा रहा है क इस भागीदारी के अंतर्गत खनिज अन्वेषण और खनन संबंधी गति व धयां पर्यावरण की ष्टि से संधारणीय हों;

(ङ) क्या सरकार दोनों देशों में खनन और खनिज प्रसंस्करण में सुधार लाने के लए संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्यो गकी-भागीदारी पहलों पर वचार कर रहीं है;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। श्रीलंका ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकोन और फॉस्फेट जैसे औद्यो गक खनिजों, जो भारत के लए महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में चह्नित खनिजों में से हैं, से समृद्ध है। ये खनिज सौर पैनल, पवन चक्कियों, बैटरी और वद्युत वाहनों जो स्वच्छ

ऊर्जा और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के लए अ भन्न अंग हैं, जैसी हरित प्रौद्यो ग कयों में उनके उपयोग के लए आवश्यक हैं।

श्रीलंका के अप्रयुक्त खनिज भंडार के साथ, भारत घरेलू उद्योग के लए महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी संसाधन उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। इस लए, खान मंत्रालय गवेषण, खनन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लए श्रीलंका सरकार के साथ स क्रय रूप से बातचीत कर रहा है।

(घ): राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 सभी खनन निर्णयों में पर्यावरणीय, आ र्थक और सामाजिक वचारों को एकीकृत करके सतत खनन को प्राथ मकता देती है। यह प्रदूषण और कार्बन फुट प्रंट को कम करने के लए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए वैज्ञानिक मानदंडों और वनीकरण व धयों का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है। इस नीति में पर्यावरण अनुकूल व धयों के लए प्रोत्साहन भी शा मल है तथा यह सुनिश्चित करते हुए क खनन कार्य उत्तरदायी और सतत दोनों हैं, श्र मकों के लये पर्यावरण संबंधी चंताओं को दूर करने के लए प्र शक्षण का प्रावधान है।

यह वह मानक है जिसके आधार पर घरेलू स्तर पर या वदेश में सभी खनन कार्यों का सतत वकास ढांचे पर उनके तुलनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में मूल्यांकन कया जाना है तथा पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लए सतत वकास नि धयों को अपनाने के लए खनन कंपनियों की ओर से प्रतिबद्धता को लागू करना है।

(ड.) और (च): प्रस्ता वत समझौता ज्ञापन में दोनों देशों में खनन और खनिज प्रसंस्करण में सुधार के लए संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्यो गकी साझा करने की पहल को सु वधाजनक बनाने का प्रावधान है।

*****